

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

P.G. (Regular) सत्र 2025-27 में नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए दिशा-निर्देश।

P.G. (Regular) सत्र 2025-27 के लिए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना के विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग एवं अंगीभूत (Constitute) महाविद्यालयों में प्रथम सेमेस्टर में नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए निर्देश तय किये गये हैं, जो निम्नवत हैं:-

- (1) **Online Application Form fill** करते समय विद्यार्थियों के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करना अनिवार्य है।
 - (क) **सही-सही प्रविष्टि:-** विद्यार्थी सर्वप्रथम अपना Login ID एवं password जनेरेट करेंगे। उसके उपरांत Online Application भरते समय अपनी सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक सही-सही अंकित करेंगे।
 - (ख) **विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग एवं महाविद्यालयों के चयन का विकल्प:-** Online Application में आपको पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना के विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग एवं सभी अंगीभूत (Constituent) महाविद्यालयों की विषयवार सूची उपलब्ध होगी। उस के अनुसार विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग/महाविद्यालय के विकल्प का चयन वरीयता के क्रम में कर सकते हैं। विद्यार्थी को अधिकतम दस (10) विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग सहित महाविद्यालय का चयन करना है। मेधा सूची में आपका नाम यदि प्रकाशित होता है तो जिन दस (10) विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग/महाविद्यालय में आपने नामांकन का विकल्प दिया है उसी में से आपको मेधा के अनुसार विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग/महाविद्यालय आवंटित होता है। विश्वविद्यालय अपने स्तर से आपके दिए गए choice के बिना कोई महाविद्यालय नामांकन के लिए आवंटित नहीं करता है।
 - (ग) विद्यार्थी P.G. (Regular) में नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म में Honours /Subsidiary में उसी विषय का चुनाव करेंगे जिसमें वे BA/B.Sc./B.Com उत्तीर्ण हुए हैं।
- (2) **आरक्षण का लाभ:-** यदि कोई विद्यार्थी बिहार सरकार के द्वारा प्रदत्त आरक्षण के श्रेणी में आता है या उसका लाभ लेना चाहता है तो वह अपनी जाति के अनुसार आरक्षण की श्रेणी यथा- BC-I, BC-II, EWS, SC,ST में से सही श्रेणी का चयन करके Online नामांकन फार्म में प्रविष्टि करेंगे। यदि किसी भी कारण से आपने अपनी जाति का गलत श्रेणी में आरक्षण विकल्प का चयन कर लिया है तो ऐसी स्थिति में आपका नामांकन रद्द हो जाएगा। आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही होगा।
- (3) **मेधा सूची का निर्धारण:-** मेधा सूची का निर्धारण Honours विषय में 800 प्राप्तांक /Subsidiary विषय में 200 प्राप्तांक का आधार विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग सहित महाविद्यालय का विकल्प एवं आरक्षण की श्रेणी में उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर की जाती है। यह मेधा सूची Software Generated होता है।
- (4) **Slide Up:-** छात्र अगर अपने आवंटित (allotted) विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग अथवा महाविद्यालय से संतुष्ट नहीं हैं तो वे अगले मेधा सूची में जाने हेतु **Slide Up** का विकल्प चुनेंगे। यदि विद्यार्थी **Slide Up** का विकल्प नहीं देंगे तो उन्हें अगले मेधा सूची में शामिल नहीं किया

जायेगा। **Slide Up** की सुविधा दो (02) बार दी जाएगी। यदि छात्र को प्रथम वरीयता (first option) का कॉलेज मिल गया है तो उन्हें **Slide Up** की सुविधा नहीं दी जाएगी और नामांकन न लेने पर वैसे छात्र को अगले मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

- (6) विद्यार्थियों को आवंटित विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग/महाविद्यालय में नामांकन के समय निम्नांकित सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ-साथ उसकी एक छायाप्रति ले जाना अनिवार्य है।
- (a) Xth Marksheet/Certificate Photo copy (for age verification)
 - (b) XIIth Marksheet/Certificate Photo copy and original only for verification
 - (c) Graduation Marksheet Photo copy and original only for verification
 - (c) CLC/Migration original
 - (d) Caste certificate (If applicable)
 - (e) E.W.S certificate (If applicable)
 - (f) Handicapped (If applicable)

डी० एस० डब्लू०

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

[Signature]
12/11/2018